कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म0प्र0)

।। संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश ।।

क्रमांक 36 / एक–11–1 / 2009 बुरहानपुर, दिनांक 02 / 02 / 2024

मैं आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर (म.प्र.), माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का आदेश कमांक 43 / 2024, दिनांक 26.01.2024 द्वारा श्रीमती कल्पना मरावी की तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के रिक्त पद पर पदस्थापना होने से, पूर्व में जारी कार्य विभाजन विविध आदेश क्रं. 10, दिनांक 17.01.2023 में व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3), 194, 381 (2), 400, 408 एवं 409 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सिविल जिला एंव सत्र खण्ड बुरहानपुर में आगामी आदेश तक निम्नानुसार खण्ड–अ सिविल कार्य विभाजन के सं. क्रं. 02 के बिंदु क्रं. 13 में, सं. क्रं 04 में बिंदु क्रं. 01 व 02, खण्ड–ब आपराधिक कार्य विभाजन के सं. क्रं. 04 में बिंदु क्रं. 01, टीप क्रं. 01 व 02, तालिका–अ में एवं टीप. क्रं. 01 व 02 में आंशिक संशोधन कर संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश जारी करती हूँ, जो कि तत्काल प्रभावशील होगा :–

खण्ड अ–सिविल कार्य विभाजन

स.क.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
02	प्रथम जिला न्यायाधीश, प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	13–द्वितीय जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।
04	तृतीय जिला न्यायाधीश, तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	1–प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2–इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

खण्ड ब–आपराधिक कार्य वितरण

स.क.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
4	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	1–सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक / प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण।

टीप :–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य अवकाश / प्रशिक्षण अवधि में उक्त न्यायालय का एवं प्रशासनिक कार्य प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेगा, तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश बुरहानपुर तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा।

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की अवकाश अवधि / अनुपस्थिति में उनके न्यायालय से संबंधित कार्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर तथा उनकी अनुपस्थिति में तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा।

सही / –
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

जिला मुख्यालय बुरहानपुर/तहसील नेपानगर के न्यायालयों के न्यायाधीशगणों के अवकाश /अनुपस्थित /अस्थाई रिक्त की स्थिति में निम्नांकित न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्य किया जायेगा।

//तालिका–अ//

स.क्र.	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
02	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर
03	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर
04	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर

टीप :–1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में प्रस्तुत होने वाले **<u>एक–एक</u>** नवीन जमानत आवेदन पत्र क्रमानुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के समक्ष अंतरित समझे जावेंगें व उन्ही के द्वारा निराकरण किया जावेगा। यदि किसी अपराध में एक सहअभियुक्त का जमानत आवेदन या उसी अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो उस अपराध में पश्चातवर्ती आवेदन उसी न्यायालय में अंतरित माने जाकर निराकृत किये जायेगें।

2. उपरोक्त प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश व प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीशण के अवकाश/ अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

सही/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक 22/एक–11–1/2009 बुरहानपुर, दिनांक 02/02/2024

प्रतिलिपि :–

1– माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर।
2– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर।
3– प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर।
4– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर।
5– व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, तह. नेपानगर, बुरहानपुर।
6– प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश,कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर।
7– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश बुरहानपुर
8– प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, बुरहानपुर।
9– प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर।
10– प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, बुरहानपुर।
11– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर।
12– जिला कलेक्टर, बुरहानपुर।
13– पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर।
14– लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता, जिला बुरहानपुर।
15– जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2/2/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)